UPMZ010078552026

न्यायालय Addl. Distt. and Sess. Court No-1, Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Sri Vishnu Chandra Vaish), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06126

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3234 सन् 2026

आशीष उर्फ आशु पुत्र अजीत सिंह,
निवासी ग्राम बहादरपुर,
थाना सिखेड़ा, जिला मुजफ्फरनगर।

.....आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–72 सन् 2026
धारा–109(1), 118(1) बी0एन0एस0
थाना–सिखेड़ा, जिला–मुजफ्फरनगर।

30.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **आशीष उर्फ आशु पुत्र अजीत सिंह** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त के संबंध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार कार्तिक पुत्र देवेन्द्र कुमार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. संक्षेप में वादिया मीना द्वारा संबंधित थाने पर दी गयी तहरीर के अनुसार कथानक इस प्रकार है कि उसके पति राकेश दिनांक 05/06/2026 की शाम के समय करीब 7 बजे घर से आवश्यक कार्य से गए थे। जब वह रात्रि 9 बजे तक घर वापस नहीं आए तो वादिया के दोनों लड़के गौरव व सौरभ तथा परिवार के अन्य सदस्य उनकी खोज करने लगे। इसी दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा रात्रि करीब 11 बजे सूचना दी गई कि राकेश पुत्र नब्बु ग्राम बहादरपुर स्थित साईधाम के पास सड़क के बीच पड़े हैं। सूचना पर वादिया के दोनों लड़के एवं परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे तो राकेश पुत्र नब्बु खून से लथपथ, गंभीर रूप से घायल एवं मरणासन्न अवस्था में बेहोश पड़े मिले। उनके शरीर पर गंभीर चोटें थीं, गर्दन कटी हुई थी, नाक कटी हुई थी तथा सिर व मुंह पर कटे हुए निशान थे। तत्काल 108 पर कॉल कर एम्बुलेंस बुलाई गई तथा राकेश को जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा उपचार के उपरांत गंभीर हालत होने के कारण उन्हें अच्छे इलाज हेतु रेफर कर दिया गया। राकेश का उपचार हेल्थ पैराडाइज हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में चल रहा है। दिनांक 06/06/2026 की शाम को राकेश को होश आया, तब उन्होंने बताया कि ग्राम बहादरपुर के ही तीन से चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन्हें जान से मारने की नियत से धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया था।

Digitally signed by VISHNU CHANDRA VAISH
Date: 2026.06.30 15:54:48 IST
Reason: SESSION BAIL
Location: ADJ COURT NO. 1, MZN

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध नही किया है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नही है जो साक्ष्य दर्शाये गये है वह हितबद्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लिखायी गयी है और चुटैल से सलाह मशवरा व पूछताछ के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मे घटना का समय अंकित नही है कि घटना किसी समय हुई है। घटनास्थल जो बताया गया है वहां पर कटेली धारदार तार खीचें हुए हैं और चुटैल जो कि शराब के नशे में था, वह उनसे भी टकराने से घायल हो सकता है। चुटैल द्वारा भी अज्ञात व्यक्तियो द्वारा घटना कारित करना बताया है जबकि आवेदक/अभियुक्त एक ही गांव के है और आपस मे एक दूसरे को जानते पहचानते है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 4 दिन बाद लिखायी गयी है। वादिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलायी राकेश को जिला अस्पताल मु०नगर लेकर गये डा० ने राकेश का इलाज किया और राकेश की गंभीर हालात देखते हुए अच्छे इलाज हेतु रैफर कर दिया जबकि न तो कोई रैफर स्लिप है और न ही कोई मुजफ्फरनगर मैडिकल का कोई भी प्रथम मैडिकल रिपोर्ट नही है। घटना वाले दिन किसी प्रकार की कोई सूचना थाने को नही दी गयी और न ही उससे अगले दिन दी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि मेरा पति रात्रि 9:00 बजे तक जब घर वापस नही आया तो उसे खोजने के लिए गौरव व सौरभ व परिवार के सदस्य गये जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना रात्रि 10:00–11:00 बजे के लगभग ही घटित हुई है जहां पर घटना घटित हुई है वह एक आम रास्ता है और बडे वाहनो का आना जाना है ऐसा भी हो सकता है कि चुटैल किसी अज्ञात वाहन से टकराया हो और उसे गंभीर चोटे आयी हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट मे यह भी कहा गया है कि कुछ व्यक्तियो द्वारा समय करीब रात्रि 11:00 बजे सूचना मिली तो प्रार्थीया साई धाम के पास पहुंची तो बेहोशी की हालत मे घायल अवस्था मे उक्त चुटैल पडा मिला। प्रथम सूचना रिपोर्ट मे बताया गया है कि तीन से चार अज्ञात व्यक्तियो द्वारा जान से मारने की नीयत से धारदार हथियारो से हमला कर दिया ये बात भी वादिया द्वारा चुटैल से बात करने की बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी है जिसमे चुटैल ने अज्ञात व्यक्तियो द्वारा ही घटना को अंजाम देना बताया है अगर आवेदक/अभियुक्त उक्त घटना में शामिल होता तो आवेदक/अभियुक्त को हर सूरत मे नामजद किया जाता। अज्ञात वाहन से शराब के नशे मे टकराने के बाद उक्त चुटैल घायल हुआ होगा क्योंकि वहां पर कटिले तार भी लगे हुए है और नाजायज लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से और सलाह मशवरा करने के पश्चात उक्त मुकदमा लिखाया गया है। जो दो गवाह अजय व बाबूराम दर्शाये गये है वो भी गांव के ही है और अगर आवेदक/अभियुक्त द्वारा घटना कारित की जाती तो उसी दिन या अगले दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक/अभियुक्त के नामजद लिखी जाती। क्योंकि एक गवाह अजय चुटैल के परिवार से बताया गया है और चुटैल के साथ होना बताया है। इसलिए उक्त दोनो का साक्ष्य किसी भी सूरत मे विश्वास योग्य नहीं है क्योंकि उक्त दोनो ने कोई घटना नही देखी। अगर घटना देखी होती तो उसी दिन सूचना चुटैल के परिवार को दी जाती। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का घ ोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि अभियुक्त की घटना कारित करने में सक्रिय भूमिका है तथा उसके विरूद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गयी है।

6. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

7. प्रपत्रों के परिशीलन से यह परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर वादिया के पति राकेश को जान से मारने की नियत से धारदार हथियारों से हमला करने, उनके शरीर, गर्दन, नाक, सिर व मुंह पर चोटें पहुंचाकर उन्हें लहूलुहान कर छोड़ देने का आरोप है। प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रश्नगत घटना कारित होने के लगभग 04 दिन बाद अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है तथा अभियोजन की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण भी नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत घटना के संबंध में घायल के उपचार से संबंधित किसी शासकीय चिकित्सालय का चिकित्सीय अभिलेख इस स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी परिलक्षित होता है कि वादिया ने अपने कथन में घायल राकेश के साथ अपने रिश्ते में भतीजा लगने वाले अमित के होने का उल्लेख किया है। उक्त अमित ने अपने बयान में अभियुक्तगण के नाम, उनके साथ हुए विवाद तथा घटना से पूर्व तक वादी तथा अभियुक्तगण के साथ होने का उल्लेख किया है। ऐसी परिस्थिति में, जबकि उक्त गवाह को घटना से पूर्व ही अभियुक्तगण की पहचान एवं उनके नामों का ज्ञान होना परिलक्षित होता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण का नाम अंकित न किया जाना भी एक विचारणीय परिस्थिति है, जिसकी साक्ष्यगत प्रासंगिकता एवं प्रभाव का अंतिम परीक्षण विचारण के दौरान किया जाना है। अभिलेख से यह भी दर्शित होता है कि कथित घटनास्थल के संबंध में साई धाम आश्रम के संचालक बाबूराम द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को प्रस्तुत किए गए शपथपत्र सहित एक प्रार्थना पत्र में कथित घटना न होने के संबंध में अपना कथन अंकित किया गया है, जिसकी सत्यता एवं साक्ष्यगत प्रभाव का परीक्षण विवेचना एवं विचारण के दौरान किया जाना शेष है। इस अवस्था में विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों की सत्यता, विश्वसनीयता एवं अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में कोई निश्चित अभिमत व्यक्त किया जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इनका परीक्षण विचारण के दौरान साक्ष्यों के सम्यक् मूल्यांकन के उपरांत किया जाना है। इस स्तर पर अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस तथ्य भी दृ ष्टिगत नहीं होता जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो कि जमानत पर रिहा किए जाने की दशा में अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया से विमुख होगा, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा अथवा गवाहों को प्रभावित करेगा। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास न तो बताया गया है तथा न ही प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 10.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

8. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किए आवेदक/अभियुक्त की जमानत का पर्याप्त आधार है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **आशीष उर्फ आशु** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन **50,000–50,000/–** (पचास हजार रूपये– पचास हजार रूपए) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्य प्रति दाखिल की जायेगी।
3. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्व धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
4. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

(विष्णु चन्द्र वैश्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 1, मुजफ्फरनगर।

दिनांक–30.06.2026